

[illegible]

1999

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 103–110
DOI: 10.1046/j.1365-2796.2000.01711.x

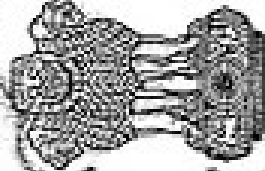
[Handwritten signature]

AIRMAIL (PAID) ALLAN JAMES
FOR AND AUTHORIZED BY [illegible]
GOVERNMENT OF CANADA

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



सत्यमेव जयते

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP03011034570734P

SHRUTI KUMAR SHARMA AHABAD UP-AHO

STAMP DUTY REF NO. 103800825259581P

ASHOK KUMAR SRIVASTAVA

Attorney

Nazim Chaudhary, Nazim Chaudhary, 1, Beil Muskhari,

P.O. Topanpur, Alid More Details As Per Self fold Deed.

1,17,18,000

(One Crore Seventeen Lakh Eighteen Thousand And Ninety Two only)

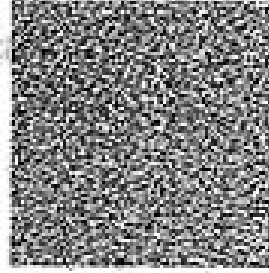
ADM NAZUL AID ON BEHALF OF U P GOVERNOR

RENU KUMAR THRU ATTORNEY ASHOK KUMAR SRIVASTAVA

RENU KUMAR THRU ATTORNEY ASHOK KUMAR SRIVASTAVA

7,92,400

(Seventy Lakh Ninety Two Thousand Four Hundred only)



Please write or type below this line.....

One

1/2

(सती शंकर सिंह)

10000506825

सत्यमेव जयते

Statutory Alert!

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.ujda.com/ujda". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The court of checking the legitimacy of the use of this certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Component Authority.

VOID VOID VOID VOID VOID VOID
VOID VOID VOID VOID VOID VOID

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

RS.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

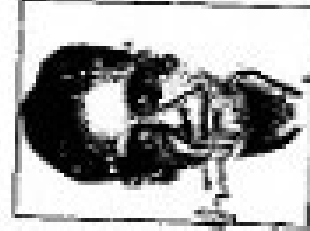
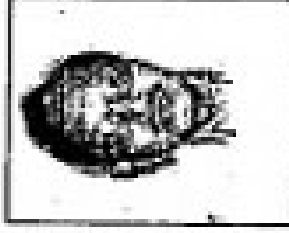


Photo of the person
Name



34 JAN 2017 131284

(2)

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2017 ई० के अप्रैल माह के २३...वें दिन, सदनुसार शक सवत् १९३९ के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के 'भतुर्थ'...वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जिनको यहाँ अंग्रेजों का कर 'विक्रेता' कहा गया है। प्रथम पक्ष तथा श्रीमती रैनु कुमार पत्नी डॉ० अनिल कुमार व पुत्री स्वर्गीय डा० राधेश्याम श्रीवास्तव आधार कई नम्बर

मोवाइल नम्बर

निवासीनी मकान नम्बर 318, अलोपीवाग, डाकखाना-अलोपीवाग, परगना व

केजा के हस्ताक्षर

विक्रेता




अपर डिप्टी मजिस्ट्रेट, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से लगा
यदि यह गलत है तो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 1921 AV 131285

(3)

तहसील सदर, शहर, इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेती" कहा गया है) द्वितीय बंदा, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल एवं श्री एन० कें० मुकजी के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 27.10.1921 जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 469 के पन्ना 57 में विलेख संख्या 1571 के रूप में सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 09.11.1921 ई० को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल को 'पट्टादाता' और उक्त श्री एन० कें० मुकजी को "पट्टेदार" कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ 4423 वर्गज था, का पट्टा, दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन कौन्सिल द्वारा श्री एन० कें० मुकजी के पक्ष में दो 30-30 दशिय मध्यवर्तीय नवीनीकरण के प्राविधानों के साथ कुल 90 वर्षों के लिये दिनांक 27.10.1921 ई० को निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1921 ई० से क्रेता के पुस्तकार

विक्रेता



अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

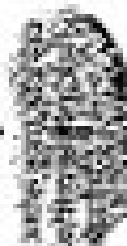
34 JAN 2017 131286

(4)

30 वर्ष के लिये प्रभावी रहा और श्री एन० के० मुकुर्जी का नाम गृहदार के रूप में नज़ूल गृहण्ड अफेक पर नज़ूल सम्पत्ति पंजिका में अंकित रहा। गृहदार श्री एन० के० मुकुर्जी के निधनोपरान्त श्री अनिल नीलमनी मुकुर्जी (श्री ए० एन० मुकुर्जी) श्री सुशील गुमार मुकुर्जी (श्री एस० के० मुकुर्जी) उनके पुत्रगण व श्रीमती तोरुलता मुकुर्जी व श्रीमती प्रीतिता मुकुर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती एरुदत रहमान फत्वी श्री जेड० एफ० रहमान उनकी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी हुये। तत्पश्चात श्री अभित नीलमनी मुकुर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकुर्जी ने दिनांक 18.09.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड अचरल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तत्कालीन किया गया जिसको रजिस्ट्री दफ्तर चार रजिस्ट्रार धनवट में दिनांक 24.09.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्री सुशील गुमार मुकुर्जी पुत्र स्वर्गीय एन० के० मुकुर्जी ने दिनांक 19.10.1946 ई० को श्री सैम्युअल सिमियन पुत्र एडवर्ड सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड स्पेशल पॉवर ऑफ एटार्नी (मुख्तारनामा) तहरीर व तत्कालीन किया गया जिसको रजिस्ट्री दफ्तर चार केन्द्र के ईसाधर

दिनेता





अनर जिलधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उक्त प्रमाण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 1946 31287

(8)

रजिस्ट्रार इलाहाबाद में दिनांक 22.10.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती प्रीतिमती मुखर्जी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुखर्जी विवाहोपरान्त श्रीमती फरहात रहमान फून्सी की ओर १००० रुपये के दिनांक 27.08.1946 ई० को श्री सैन्धुमत सिमियन पुत्र एडवर्ट सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड जनरल पोस्ट ऑफ एटार्नी (मुखाबलावा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार शिमला में दिनांक 30.08.1946 ई० को हुई है। इसी प्रकार श्रीमती सोरसाल मुखर्जी पुत्री स्वर्गीय एन० के० मुखर्जी व एल्वी कैप्टन ट्री०पी०एम० दास ने दिनांक 01.09.1946 ई० को श्री सैन्धुमत सिमियन पुत्र एडवर्ट सिमियन के पक्ष में रजिस्टर्ड रोफत खंडर ऑफ इटार्नी (मुखाबलावा) तहरीर व तकमील किया गया जिसकी रजिस्ट्री दफतर सब रजिस्ट्रार देहरादून में दिनांक 03.09.1946 ई० को हुई है। तात्पर्यता पट्टेदार के उद्देश्य विधिक उत्तरदायित्वियों के जनरल व स्पेशल पोस्ट ऑफ एटार्नी होकर श्री सैन्धुमत सिमियन पुत्र एडवर्ट सिमियन ने बंगला नंबर 6, कागपुर रोड (पुरमोतमदास टाउन रोड) इलाहाबाद का जुजु हिस्सा क्षेत्रफल 2 एकड़ देवा के पुरमाम

विशेष

1946
10/10/46
10/10/46
10/10/46

अपर डिप्टीमिस्टर, (मजदूर) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 म० की ओर से तथा
अंक द्वारा प्रमाणित

(अमी अंकर सिंह)
अपर डिप्टीमिस्टर (मजदूर)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

2979 एग्रीज व उग्र पर निर्मित सगला आइट एग्रीज (गकनसत) पेड़, बाग, कान्वाउग्रह बोल, नव् अमीन व मय लामोरसत मय लीज होस्टस राइटस को, विजय पत्र रजिस्ट्री बुदा दिगुंक 23.02.1948 ई० के माध्यम से डा० राधेश्याम श्रीवास्तव पुन स्वर्गीय श्रीके विजयी लाल श्रीवास्तव के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया जिसकी रजिस्ट्री की संख्या 1 जिल्द संख्या 850 के पन्ना 197 से 206 में दस्तावेज नम्बर 281 पर दिनांक 27.02.1948 ई० को सब रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में हुई है। तत्पश्चात् नलूत भूखण्ड संख्या 1, केसी मुसलखारजा संगल नम्बर 6, दुस्सोलसत पास टपकन रोड, लहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एका 2979 वर्गगज का पट्टा दि गर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविन्स द्वारा दिनांक 12.02.1949 ई० को डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 23.02.1948 ई० से 3 वर्ष 7 माह 7 दिन के लिये वैधतायी था। पट्टा विवेक की रजिस्ट्री की संख्या 1 जिल्द संख्या 859 के पन्ना 247 से 258 में विवेक संख्या 273 के रूप में दिनांक 08.04.1949 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला इलाहाबाद में हुई है और डा० राधेश्याम केता के हस्ताक्षर

विवेक

अगर जिलाधिकारी, (नलूत) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 म० की ओर से सब
उन्के द्वारा प्रसिद्ध

(लक्ष्मी संकर सिंह)
अगर जिलाधिकारी (नलूत)
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON-JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹ 1000

ONE THOUSAND RUPEES

RS. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 DEC 1954 V 171289

(7)

श्रीवास्तव का नाम नखूल भूउपग्रह उपरोक्त पर नखूल सम्पत्ति पंजिका में पेटेदार के रूप में अंकित हुआ। पेटे की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने पर नखूल भूउपग्रह संस्था 1. देवी मुस्तकासजा बंगला नम्बर 6, पुरखोताम टास टपुडन रोड, शहर इलाहाबाद कोचल 2 एचड 2979 वर्गफु का नवीनीकृत पट्टा दि गर्बनर ऑफ यूनाइटेड प्रोविन्स द्वारा दिनांक 28.04.1954 ई० को 100 राघोश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 01.10.1951 ई० से 30 वर्षों के लिये प्रभावी है। नवीनीकरण पट्टा मिलेख रजिस्ट्री यही संख्या 1 जिल्द संख्या 982 के पन्ना 344 से 346 में मिलेख संख्या 2409 के रूप में दिनांक 27.12.1954 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार कायल, जिला इलाहाबाद में हुई है। पेटेदार 300 राघोश्याम श्रीवास्तव का स्वतंत्र अरसी पूर्व दिनांक 24.08.1983 ई० को हो गया है और उनकी कन्या श्रीमती तारा श्रीवास्तव का भी स्वतंत्र दिनांक 25.03.2002 ई० को हो गया है और स्वर्गीय पेटेदार 100 राघोश्याम श्रीवास्तव व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती तारा श्रीवास्तव ने अपने स्वतंत्र पर 100 अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित देवा के हस्ताक्षर

विशेष


अनंद किशोर
जिला मजिस्ट्रेट
इलाहाबाद


अनंद किशोर, (नखूल) इलाहाबाद
राजपथ 30 30 की ओर से तथा
उपरोक्त संस्था

(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अनंद किशोर (नखूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(8)

कुमार श्रीवास्तव को अपना पुत्रागण व श्रीमती आशा वर्मा व श्रीमती रेनु कुमार को अपनी पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा। इस प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार श्रीवास्तव व ललित कुमार श्रीवास्तव व श्रीमती अशा वर्मा व श्रीमती रेनु कुमार स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रागण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारी की हस्तिगत से नगुल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्ताखारडा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2379 वर्गफुज के संयुक्त पट्टेदार हुये।

तत्पश्चात स्वर्गीय पट्टेदार डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पुत्रागण, पुत्रीगण व विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य नगुल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्ताखारडा बंगला नम्बर 6, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2379 वर्गफुज व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/8), पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, शहर इलाहाबाद के सम्बन्ध में आपसी समझौते के अनुसार औरत फैमिली सेटलमेन्ट हो गया और उस औरत फैमिली सेटलमेन्ट की वजह एक दस्तावेज के माध्यम से हस्ताक्षर

दिनेमा

[Signature]



अपर डिप्टी कमिश्नरी, (नगुल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उन्के द्वारा प्रमाणित

(लक्ष्मी सांकर सिंह)

अपर डिप्टी कमिश्नरी (नगुल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

बनौदी थाकदास दिनांक 20.03.2015 को स्वयंसेवक पंखेदार डॉ० राधेश्याम श्रीवास्तव के द्वारा विधिक आवाधिकारियों के माध्यम से लक्ष्मील किया गया जिसके अनुसार श्रीमती रेनु कुमार चानी की डा० अनिल कुमार व पुत्री स्व० डा० राणी स्वाय श्रीवास्तव नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बैली मुलाखादजा बंगला नम्बर 6, पुरखोताम दास टम्हन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरखोताम दास टम्हन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिरसा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, गया जमीन व मकान तामीरता जो रोटेसनेट उपरोक्त में संलग्न नक्शों में पेशीन नम्बर A1 से दिखाया गया है, को उनका मालिक हुई। इसी प्रकार डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० राणी स्वाय श्रीवास्तव नज़ूल भूखण्ड संख्या 1, बैली मुलाखादजा बंगला नम्बर 6, पुरखोताम दास टम्हन रोड, शहर इलाहाबाद व उस पर निर्मित मकान नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/6), पुरखोताम दास टम्हन रोड, शहर इलाहाबाद का जुज हिरसा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, गया जमीन व मकान तामीरता जो रोटेसनेट उपरोक्त में संलग्न नक्शों में

देखा के समान

दिनांक

19/7/20



अथ दिनांकिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद
राजस्व 30 100 की ओर से लग

अथ दफा नमूना

(नक्की संतर दिने)
अथ दिनांकिकारी (नक्की)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

पोर्शन नम्बर A5 से दिखाया गया है, का लगहा गानिक हुआ। इसी प्रकार विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० हा० राठौ श्याम श्रीवास्तव नयूज भूखण्ड संख्या 1, बेसी मुलाखारजा बंगला नम्बर 6, पुलबोत्तम दास टण्डन रोड, राहुर इलाहाबाद व उस पर निर्मित भवन नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/61), पुलबोत्तम दास टण्डन रोड, राहुर इलाहाबाद का कुछ हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय सामीप्य जो सेटेलमाप्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शों में पोर्शन नम्बर A3 से दिखाया गया है, का लगहा गानिक हुआ। इसी प्रकार लक्ष्मि कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० हा० राठौ श्याम श्रीवास्तव नयूज भूखण्ड संख्या 1, बेसी मुलाखारजा बंगला नम्बर 6, पुलबोत्तम दास टण्डन रोड, राहुर इलाहाबाद व उस पर निर्मित भवन, का कुछ हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय सामीप्य जो सेटेलमाप्ट उपरोक्त में संलग्न नक्शों में पोर्शन नम्बर A4 से दिखाया गया है, का लगहा गानिक हुआ व इसी प्रकार श्रीमती अम्मा वर्मा कन्वी श्री के० के० वर्मा व पुत्री रानीया हा० राठीश्याम श्रीवास्तव नयूज भूखण्ड संख्या 1, बेसी मुलाखारजा बंगला केस के हिसाब

मिलेगा

महोदय जय श्रीवास्तव
महोदय श्रीवास्तव
महोदय श्रीवास्तव

अपर डिप्टी कमिश्नरी, (नयूज) इलाहाबाद

राजमहल 20 म० डी और से राहुर

उन्के द्वारा प्रमाणित

(लक्ष्मी शंकर सिंह)

अपर डिप्टी कमिश्नरी (नयूज)

इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36 JAN 31 293

(11)

नम्बर 4. पुलिसोत्तम दास टपड़न रोड, सहर इलाहाबाद ये उस पर विहित यत्नाय नम्बर पुराना 6, नया 27 (27/86), पुलिसोत्तम दास टपड़न रोड, सहर इलाहाबाद ता खुज हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 2012 वर्गमीटर है, मय जमीन व मय लाबीराज जो सेटलमेन्ट अधीन में संलग्न नक्शों में पॉर्सन नम्बर A2 से दिखाया गया है, की लगत यासिक हुई।

ईपदरचात पट्टेदार की विहित आराधिकाही सीधली रेनु कुमार पल्ली श्री डा० अमिल कुमार व पुत्री स्व० डा० राधेश्याम श्रीवास्तव ने नञुत धूखण्ड संख्या 1, केली मुकदमाका बंगला नम्बर 6, पुलिसोत्तम दास टपड़न रोड, सहर इलाहाबाद में अपने अंत भाग के अंश भाग होप्रफल 592 वर्गमीटर भूमि को अपने पक्ष में प्रीहोल्ड कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को नई नञुत नीति के अन्तर्गत आयोगनपत्र संख्या 87 दिनांक 31.03.2015 ई० को प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रीहोल्ड पट्टेदार की विहित उत्तराधिकारी श्रीमती रेनु कुमार पल्ली श्री डा० अनिल कुमार व पुत्री स्व० डा० राधेश्याम श्रीवास्तव के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार 'केली' पत्रा केला के प्रस्ताव

मिहका

उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

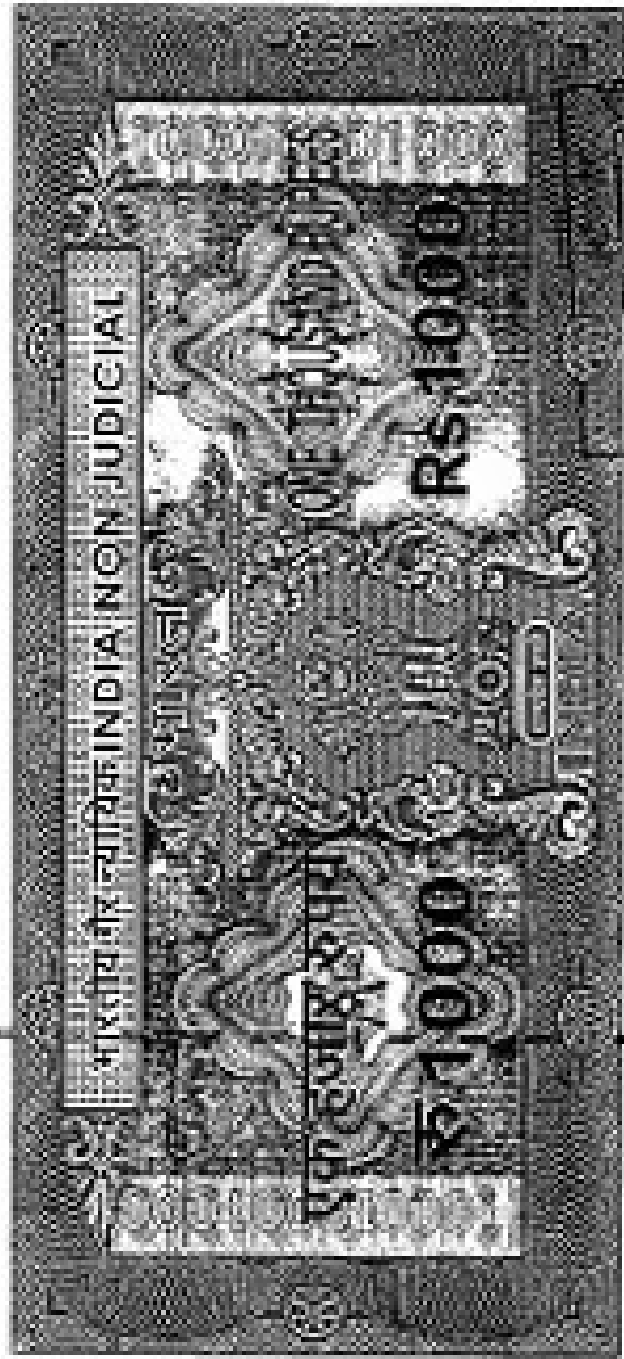
उत्तर प्रीसविहारी, (नञुत) इलाहाबाद
राजपना 20 100 की ओर से तथा

उम्के द्वारा प्रदिकृत

(समी संकय मिह)

उत्तर प्रीसविहारी (नञुत)

इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

बिसेख की अनुसूची में उल्लिखित नयून भूखण्ड, जिनसे इस बिसेख की अनुसूची में दर्जित किया गया है, की पट्टेदार की विधिक उत्तराधिकारी है।

श्रीर वृत्ति केती ने इस बिसेख की अनुसूची में दर्जित नयून भूखण्ड जिसकी यह पट्टेदार की विधिक उत्तराधिकारी है, प्रदेश की नयून भूमि के प्रन्ध एवं निरन्तरण विषयक शासनादेश संख्या-2288/9-अ-4-98-704एच/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1850/8-4-08-288 एच/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-09-288 एच/08 दिनांक 28.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1500/8-4-11/137 एच/04 दिनांक 28.03.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एच/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एच/15 दिनांक 18.01.2015 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार प्रविष्टोक्त सैफ घोषित करने तथा उस पर केती को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्दिष्टित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

श्रीर वृत्ति नयून भूमि के प्रन्ध एवं निरन्तरण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों के लिये प्रमाणित

(Signature)

जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद

(Signature)

उपर जिलाधिकारी, (नयून) इलाहाबाद
राज्यपाल 20 20 की ओर से लख
उसके द्वारा मधिकृत

(उपरी अधिकारी सि.र)
उपर जिलाधिकारी (नयून)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

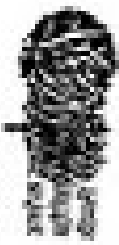
30 JUN 2017 230295

(13)

में निर्दिष्ट निर्देशानुसार शासनादेश संख्या-22683/9-आ-4-08-76/एम/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1830/8-4-08-255 एम/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-08-255 एम/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एम/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/410/0-4-14-137 एम/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-00/107/0-4-15-137 एम/16 दिनांक 16.01.2015 के अनुसार समूहगत की धनराशि रुपये 21,46,470/- (रुपये चौबीस लाख छियासीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चूल्हान संख्या A/110107, दिनांक 20.03.2015 द्वारा तथा दिनांक 07.10.2016 को निर्मित मांग पत्र संख्या 345/नजूल-(एल.एन.सी. X.XI-B/87(ब्रीहोल्ड) 2016-2017 द्वारा अवैधित धनराशि रुपये 52,71,622/- (रुपये बान्ने साठ हजार इकहतर हजार छ सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A/16015 दिनांक 31.12.2016 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आवधिक निवर्तित मूल्य रुपये 1,17,18,092/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अठ्ठासह हजार बान्ने मात्र) केता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, केता के पूसाकर

विधेया

[Signature]



अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राजस्थान 30 50 की ओर से तथा

उपके द्वारा प्रमाणित

(नकली प्रमाण सिद्ध)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

जिला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नक़ुन भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (प्री-रोल) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क़ैती को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एलबद्धता सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समग्र-समय पर तथा संशोधित गवर्नमेंट ऑफ़्टन ऐक्ट 1896 (यन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन नियमित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नक़ुन भूखण्ड क़ैती के पक्ष में प्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क़ैती द्वारा विवेका को कुल छनराशि रुपये 1,17,18,000/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अठारह हजार आठ सौ मात्र) जिला-इलाहाबाद सिविल एजसायेस कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी खज़ाना द्वारा क़िदो भुगतान मैजिस्ट्रेटी प्रवृत्ति विवेका एलबद्धता स्वीकार कर रहा है। के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रवृत्तिद्वारे और शर्तों जिनका क़ैता चाहन करेगा, को ध्यान में रखकर विवेका क़दददारा यह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के सिधे इस विलेख से संलग्न सामावित्र क़ैता के द्वाराकर

विवेका

[Signature]



आपर जिलाधिकारी, (नक़ुन) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से गया

उपरोक्त द्वारा प्रमाणित

(समगी सांकेत सिद्ध)
आपर जिलाधिकारी (नक़ुन)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH.

1000 रुपये 131297

(15)

में ताली रंग से प्रदर्शित किया गया है को गणराज्य में विनिर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करने हैं और उस पर केली को निम्नी स्वामित्व प्रदान करने हैं और केली, उसके दायारिक्तरी तथा शान्तिवैशिली रादा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विवेक की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाने करने केली का भुगतान केली करेगी।

इस विवेक से उसका या इसके सम्बन्ध में का इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दायेदार के बीच केली उस सहा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं सार्वी नियोजन विभाग के सचिव/अनुसूच सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विवेक के दोनों पक्ष उससे बंधित होंगे।

इसके लिये

विवेक

13/12/97



13/12/97

उपर विनियोजनी, (नयुता) इलाहाबाद
राज्यपाल 20 मं की और से तथा

अके द्वारा प्रमाणित

(समी संकर सिंह)
उपर विनियोजनी (नयुता)
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 JAN 2017 13:12:39

(16)

इस विवेक के निष्पन्न एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा होगा, केसी सहन करेंगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विवेक में प्रयुक्त शब्द "विवेका" और "केसी" के सम्बन्ध में, अब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विवेका" में उसके पद के आदर्शिकारियों एवं सम्बन्धितियों का तथा "केसी" में उसके वायव्यिकारियों, निष्पादकों, प्रवर्धकों, प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धितियों का अन्तर्भाव है।

इस विवेक के सम्बन्ध में केसी श्रीमती रेनु कुमार पानी श्री डा० अभिल कुमार व पुत्री स० डा० राधे श्याम श्रीधारसह जिन्होंने अपने अपने भाई श्री ए० के० श्रीधारसह (डॉ० अर्शांक कुमार श्रीधारसह) पुत्र स्वर्गीय डॉ० राधेश्याम श्रीधारसह निवासी ३१, तुला रामवीथ, इलाहाबाद हाल निवासी मकान नम्बर ३१८, अलौचोपाय, साहर इलाहाबाद का पक्ष में दिनांक २३.१२.१९८६ ई० को पॉवर ऑफ एटोर्नी निष्पादित किया

केस के हर्जाने

विवेका

Signature

Signature
 अवर दिताधिकारी, (नसुको) इलाहाबाद
 सज्जमान उ० प्र० की और से तथा
 उनके द्वारा प्रमाणित
 (केसी पक्ष के विवेक)
 दिनांक ३०/१२/८६

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(17)

है और जो अभिलेख (अवम) इलाहाबाद के कार्यालय में दही संख्या 4 जिष्ट संख्या 649 के पृष्ठ संख्या 63 से 68 में क्रमांक 2057 पर दिनांक 31.12.1986 ई० को रजिस्टर्ड है, के एटार्नी होल्डर के रूप में अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० दा० राधे श्याम श्रीवास्तव ने और बिदेना की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन विधियोंको हस्तक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे मिली है।

इसमें अभिलेख अनुसूची निम्नलिखित है :-

नवूल से परिवर्तित प्रिन्सलेड भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद (चाटी) क्षेत्रफल 562 वर्गमीटर स्थित गौहस्ता पुरखेसम दास टण्डन रोड, लहरीत शहर, बीडर इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी दृष्टि निम्नलिखित है :-

चाही :-

पूरुव :- नवूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग
देवा के हस्ताक्षर

बिदेना

उत्तर प्रदेश गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रिन्सलिखरी, (नवूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 40 की ओर से लाल
उपके द्वारा अधिकृत

(असली प्रिन्सलिखरी)

उत्तर प्रिन्सलिखरी (नवूल)
पूरुव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)

श्रीमती आशा वर्मा का।

पश्चिम - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग।

बादलू नाला।

उत्तर - नजूल भूखण्ड संख्या 1, बेली मुस्तखारजा, इलाहाबाद का अंश भाग।

दक्षिण - पी० डी० टण्डन रोड (काजपुर रोड) इलाहाबाद।

प्रतीलेख के लिये जेता ने खासूवांकन की धनराशि रुपये 24,46,470/- (रुपये चौबीस लाख छियालीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A110107, दिनांक 20.03.2015 द्वारा तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि रुपये 92,71,623/- (रुपये बानवे लाख इयहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A 110015 दिनांक 31.12.2016 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये

जेता के हस्ताक्षर

विकेता

अनंदा प्रसाद, जिलाधिकारी
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर विलासिडकारी (नजूल)
इलाहाबाद

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(लक्ष्मी शंकर सिंह)
अपर विलासिडकारी (नजूल)
इलाहाबाद

ONE THOUSAND FIDERS

Rs.1000

—

1. 17.10.2022:- (समय) एक कपीतु सचिव लाल अक्षरों द्वारा भेजे गए।
दिनांक 17.10.2022



अथर प्रिन्सिपल, (गुरुकुल) इन्दौर
रजिस्ट्रार 10 120 की ओर से 1878

new standard group
patients

— *Myself, alone, alone*

Dr. J. C. Gillingham, *Physician,*
St. Mary's Hospital, St. Louis, Mo.

[illegible]